अज अदालत लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी), शिवगंज

बइजलास डॉ. नरेश सोनी, आर0ए0एस0

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोंडेंट
1. बीरवानाराम पुत्र मूलिया जाति रबारी निवासी खेजडिया तहसील शिवगंज, जिला सिरोही 2. रूपाराम पुत्र मूलिया जाति रबारी निवासी खेजडिया तहसील शिवगंज जिला–सिरोही **विद्वान अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव**		1.ग्राम पंचायत केसरपुरा तह0 शिवगंज 2.जितेन्द्रसिंह पुत्र अचलसिंह निवासी सुथारों का वास शिवगंज तहसील शिवगंज , जिला सिरोही 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम

राजस्व अपील संख्यां–03/2023

– : निर्णय : –

दिनांक 18.10.2023

उपरोक्त अनवान सदर में अपीलाण्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 716 दिनांक 05.12.2011 निरस्त करने का पेश किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मर्यादा अधिनियम का विरुद्ध रेस्पोडेंटगण के इस न्यायालय में हमारे समक्ष पेश किया। विवादित आराजी मौजा खेजड़िया पटवार हल्का केसरपुरा के खसरा नम्बर 183, 187 रकबा क्रमशः 13–16, 2–16 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 16–12 बीघा भूमि आई हुई है। उपरोक्त आराजी में अपीलान्ट के संयुक्त स्वामित्व एवं खातेदारी कब्जे मालिकी थी जिसमें अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा था एवं अपने हक हिस्से पर बिना रूकावट शांतिपूर्वक तरीके से काबिज था। उक्त आराजी अपीलान्ट के मालिकी एवं स्वामित्व की होने से उक्त आराजी को बेचान इत्यादि करने का पूरा–पूरा हक व अधिकार होने से अपीलान्ट द्वारा अपने 1/4 हिस्से में से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अपने हिस्से की आधी यानि सम्पूर्ण हिस्से में से 1/8 हिस्सा जरिये विक्रय विलेख दिनांक 31.10.2011 को बेचान कर दिया था एवं 1/8 हिस्सा अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज होने से उक्त आराजी में से 1/8 हिस्से पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 1/8 हिस्से पर अपीलान्ट काबिज काश्त होकर खेती करते आ रहे हैं, लेकिन पटवारी खेजड़िया द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम नामान्तरकरण संख्या 716 दिनांक 05.12.2011 दायर करते समय अपीलान्ट द्वारा बेचान 1/8 हिस्से का नामान्तरकरण दायर करना चाहिए था लेकिन पटवारी खेजड़िया ने 1/8 हिस्से का नामान्तरकरण दायर न कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की संयुक्त आराजी 1/4 हिस्से पर केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का ही नाम दर्ज कर अपीलान्ट संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत एवं विधि विरुद्ध तरीके से हटाकर केवल रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम विधि विरुद्ध तरीके से नामान्तरकरण संख्या 716 दिनांक 05.12.2011 जरिये दायर कर दिया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने उक्त अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपीलांट कानूनी व नामान्तरकरण प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ थे जिससे अपीलान्ट इस विश्वास में रहे कि उक्त आराजी में बेचान अनुसार ही 1/8 हिस्से पर रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज हुआ होगा किन्तु अपीलान्ट को प्रथम बार दिनांक 12.04.2023 को इसकी जानकारी हुई कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है तो अपीलान्ट ने पटवार कार्यालय खेजड़िया से दिनांक 05.12.2023 को नामान्तरकरण पंजिका की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि अपीलान्ट का नाम उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है एवं केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का ही नाम दर्ज है। अपीलान्ट को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने की जानकारी दिनांक 12.04.2023 को होने से [illegible] अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:45:37 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज– 2

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

अपील सं0 03/2023
बीरबानाराम बनाम ग्राम पंचायत केसरपुरा
अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट व 5 म्याद अधिनियम

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर किए जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी हुए। रेस्पोडेण्ट संख्या एक ता तीन के सम्मन तामील होकर प्राप्त हुए। दिनांक 02.08.2023 को रेस्पोडेंट सं0 1 व 2 को समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् भी अनुपस्थित होने से इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए इनका जवाब बंद किया गया। दिनांक 23.08.2023 को रेस्पोडेन्ट सं0 3 ने अपील व 5 म्याद अधिनियम का जवाब पेश किया। दिनांक 18.10.2023 को अपीलान्ट अधिवक्ता व स्टेट की ओर से तहसीलदार शिवगंज की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रस्तुत बहस पर मनन किया, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलांट कानूनी व नामान्तरकरण प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ थे जिससे अपीलान्ट इस विश्वास में रहे कि उक्त आराजी में बेचान अनुसार ही 1/8 हिस्से पर रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज हुआ होगा अपीलान्ट को प्रथम बार दिनांक 12.04.2023 को इसकी जानकारी हुई कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है तो अपीलान्ट ने पटवार कार्यालय केसरपुरा से दिनांक 05.02.2023 को नामान्तरकरण पंजिका की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि अपीलान्ट का नाम उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है एवं केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का ही नाम दर्ज है। अपीलान्ट को अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने की जानकारी दिनांक 12.04.2023 को होने से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम व अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट को स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत केसरपुरा द्वारा दस्तावेजी विक्रय विलेख के अनुसार बैचान हिस्से का अवलोकन किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किये जाने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 716 आदेश दिनांक 05.12.2011 को अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में विक्रय विलेख के अनुसार जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट पेश करें। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

आज दिनांक 18.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

(डॉ0 नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

क्रमांक/कोर्ट/ 719
18/10/2023

प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:45:37 IST
Reason: SelfAttested